518

पत्रांक : 5प/षष्ठम् राज्य वित्त आयोग–10–02/2024/29(2910)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 18/7/2025

विषय : **वित्तीय वर्ष 2025–26 में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों/ग्राम पंचायत डाटा इंट्री ऑपरेटरों, तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल–सह–आई०टी० सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु कुल ₹4,55,61,96,000.00 (चार अरब पचपन करोड़ ईकसठ लाख छियानवे हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4045 दिनांक 25.07.2018 के आलोक मे राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में एक–एक कार्यपालक सहायक का नियोजन किया गया है। विभागीय पत्रांक 6538 दिनांक 17.11.2021 द्वारा इनकी सेवा अवधि के विस्तार के संबध में सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक 436 दिनांक 26.02.2019 में निहित निदेश को लागू किया गया है। साथ ही जहां ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक के पद रिक्त रह गये थे, वहां बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा इंट्री ऑपरेटर को नियोजित किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका–04 में निहित प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक/डाटा इंट्री ऑपरेटर के मानदेय का भुगतान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त राशि से किया जाना है।

2. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4046 दिनांक 25.07.2018 के आलोक में औसतन चार ग्राम पंचायत पर एक की दर से लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक एवं तकनीकी सहायक का नियोजन किया गया है। विभागीय पत्रांक 4726 दिनांक 28.03.2025 द्वारा इनकी सेवा जारी रखे जाने हेतु निदेश संसूचित है। उक्त संकल्प की कंडिका–18 में निहित प्रावधानों के आलोक में लेखापाल–सह–आई०टी० सहायकों एवं तकनीकी सहायकों के मानदेय का भुगतान दोनों निश्चय योजनाओं/राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त होनेवाली राशि से किया जाना है।

Amit 18/7/25

D:\MS EXCEL\MS Excel\Budget\Amit ji\6TH SFC SANCTION ORDER 2025-26\SANCTION ORDER\sanction order docx36

P.T.O

(57)

3. उक्त कंडिका–1 एवं 2 के आलोक में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत ग्राम पंचायतों को सामान्य निधि मद की देय अनुदान राशि में से ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायकों/डाटा इंट्री ऑपरेटरों, तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल–सह–आई०टी० सहायकों के मानदेय के भुगतान हेतु कुल ₹4,55,61,96,000.00 (चार अरब पचपन करोड़ ईकसठ लाख छियानवे हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जाती है :–

राशि रूपये में

क्र०	जिला का नाम	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3
1	अररिया	129660000.00
2	अरवल	34440000.00
3	औरंगाबाद	119052000.00
4	बाँका	93204000.00
5	बेगूसराय	114348000.00
6	भागलपुर	136800000.00
7	भोजपुर	133776000.00
8	बक्सर	75468000.00
9	दरभंगा	178956000.00
10	गया	164544000.00
11	गोपालगंज	131472000.00
12	जमुई	82536000.00
13	जहानाबाद	53244000.00
14	कैमूर	81828000.00
15	कटिहार	132048000.00
16	खगड़िया	69624000.00
17	किशनगंज	75516000.00
18	लखीसराय	39720000.00
19	मधेपुरा	93288000.00
20	मधुबनी	228132000.00
21	मुंगेर	59004000.00
22	मुजफ्फरपुर	210204000.00
23	नालन्दा	126168000.00
24	नवादा	94620000.00
25	पश्चिम चम्पारण	178884000.00
26	पटना	149988000.00
27	पूर्वी चम्पारण	234144000.00
28	पूर्णिया	134808000.00
29	रोहतास	136020000.00
30	सहरसा	71376000.00
31	समस्तीपुर	199008000.00
32	सारण	175728000.00

18/7/25

33	शेखपुरा	26592000.00
34	शिवहर	35064000.00
35	सीतामढ़ी	151728000.00
36	सिवान	173232000.00
37	सुपौल	107676000.00
38	वैशाली	124296000.00
कुल		**4556196000.00**

चार अरब पचपन करोड़ ईकसठ लाख छियानवे हजार रूपये मात्र

4. इस स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष 2515--अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0009--राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" मद के "विषय शीर्ष–0009.31.04--सहायक अनुदान--वेतन" से की जायेगी। इसकी मांग संख्या–16 एवं विपत्र कोड 16–2515001980009 है।

5. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी CFMS के माध्यम से संबंधित जिले के जिला कोषागार से नियमानुसार करते हुए ग्राम पंचायत के कार्यपालक सहायकों/ग्राम पंचायत डाटा इंट्री ऑपरेटरों, तकनीकी सहायकों एवं लेखापाल--सह--आई०टी० सहायकों के मानदेय का भुगतान उपस्थिति विवरणी के आलोक में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इस स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार विहित प्रपत्र में ससमय पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

6. इस स्वीकृत राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

7. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. इस स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहाकर की सहमति संचिका संख्या 5प/षष्ठम् राज्य वित्त आयोग–10–02/2024 की पृष्ठ संख्या–...122..../टि० पर दिनांक...16.07.2025... को प्राप्त है।

9. इस स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम स्वीकृति प्राधिकार का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/षष्ठम् राज्य वित्त आयोग–10–02/2024 के पृष्ठ संख्या–...123.../टि० पर दिनांक...17.07.2025...को प्राप्त है।

D:\MS EXCEL\MS Excel\Budget\Amit ji\6TH SFC SANCTION ORDER 2025-26\SANCTION ORDER\sanction order docx38

10. स्वीकृत्यादेश एवं इसके साथ संलग्न विवरणी के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन) 18/7/25

अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प / षष्ठम् राज्य वित्त आयोग–10–02 / 2024 / 29(स्वी०) / पं०रा० पटना, दिनांक 18/7/2025

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी / सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 18/7/25

अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प / षष्ठम् राज्य वित्त आयोग–10–02 / 2024 / 29(स्वी०) / पं०रा०,पटना, दिनांक 18/7/2025

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 18/7/25

अपर सचिव

ज्ञापांक :5प / षष्ठम् राज्य वित्त आयोग–10–02 / 2024 / 29(स्वी०) / पं०रा० पटना, दिनांक 18/7/2025

प्रतिलिपि : मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 18/7/25

अपर सचिव

ज्ञापांक :5प / षष्ठम् राज्य वित्त आयोग–10–02 / 2024 / 29(स्वी०) / पं०रा० पटना, दिनांक 18/7/2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–05 / 03 एवं आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 18/7/25

अपर सचिव

Amit